छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 5–70/2017/10–2 रायपुर, दिनांक 18/01/2018

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर–19 नार्थ ब्लाक,
कैपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर ।

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Widenign and Upgrading to 2 Lane of NH 163 (old NH 202) from Bhopalpatnam - Taralaguda section in State of Chhattisgarh under LWE scheme, area- 104.8847 ha. ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–618/3274 दिनांक 15.11.2017 ।

––00––

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे । प्रकरण का परिक्षण पश्चात् प्रस्ताव में निम्न त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 108 में लेख अनुसार प्रकरण व्यवसायिक उपयोग का नही है अतः C/B Analysis की आवश्यकता नही है जबकी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश क्र. 7–69/2011–एफ सी (पार्ट) दिनांक 01.08.2017 के साथ प्रेषित टेबल ए के बिन्दु क्र. 4 अनुसार 5 हे. से ज्यादा के पहाडी क्षेत्र एवं 20 हे. से ज्यादा के मैदानी क्षेत्र के वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में C/B Ratio की गणना आवश्यक है ।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 89 एवं विचाराधीन पत्र के बिन्दु क्र–3 अनुसार स्थल पर 3066 वृक्ष थे जबकी वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन (FCA violation संबंधी विस्तृत विवरण जो पृष्ठ क्र. 142, 143, में उपलब्ध है) में कुल वृक्षों की संख्या 4003 दर्ज है।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 142 एवं पृष्ठ क्र. 143 में प्रदायित वन मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार,

   प्रकरण में आवेदक संस्थान को वनमंडलाधिकारी बीजापुर द्वारा दिनांक 13.01.2015 को औसतन 7–9 मीटर मौजूदा चौडाई के उन्नयन की अनुमति दी गई किंतु आवेदनकर्ता संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर वन क्षेत्र में 36 कि.मी सडक को बिना अनुमति 13 मीटर तक WBM सडक चौडीकरण किया गया है। उक्त चौडीकरण के दौरान वृक्षों को काटकर मिट्टी मुरूम तथा गिट्टी भी तोडी गई है । प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 89 के अनुसार वन क्षेत्र से अवैध रूप से काटे गये 719 वृक्षों की चोरी भी दर्शायी गई है ।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 145 अनुसार स्थल पर FCA violation हेतु तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अनुविभाग–बीजापुर जिम्मेदार है प्रस्ताव में उपलब्ध अभिलेखों में उक्त अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का वर्णन नही है।

उपरोक्त बिन्दु क्र.–3 तथा 4 अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु दोषियों पर कोई कार्यवाही नही की गई है अपितु अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 4 अनुसार FCA violation हेतु आवेदनकर्ता से दंड स्वरूप केवल दुगने बिगडे वन क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि वसूली प्रस्तावित किया गया है ।

FCA 1980 की धारा क्र. 3B(1) तथा (2) में FCA violation की स्थिति में कार्यवाही बाबत् स्पष्ट निर्देश है । इसी तरह वन सरंक्षण नियम 2003 अंतर्गत अधिसूचना दि.10.1.2003 के बिन्दु क्र. 9 में उल्लंघन हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही बाबत् स्पष्ट विवरण दिया गया है । उक्त नियम के अनुसार प्रकरण में दोषियों पर कोई कार्यवाही नही की गई है ।

5. संदर्भित पत्र दिनांक 15.11.2017 में वर्णित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के समस्त प्रकार के उल्लंघनों हेतु दाण्डिक वृक्षारोपण को जारी होने वाली स्वीकृति में शर्त के रूप में शामिल करने से क्या समस्त प्रकार के वर्णित उल्लंघनों का शमन हो जायेगा और इसका प्रावधान कहां है ?

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर जानकारी शीघ्र प्रेषित करें जिसके उपरांत प्ररकण में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी ।

(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–70 / 2017 / 10–2
रायपुर,दिनांक 18 / 01 / 2018

प्रतिलिपि :–

1.**मुख्य अभियंता**, लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे जोन, एन.एच. कैम्पस, पेंशन बाडा, रायपुर–492001, छत्तीसगढ़ ।

2.**मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त,** छत्तीसगढ़ ।

3.**वनमंडलाधिकारी,** बीजापुर वनमंडल

4.**कार्यपालन अभियंता,** लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जगदलपुर परिक्षेत्र ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग